

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सियपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर

वेबसाईट : www.cgrdc.in, ईमेलआईडी : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

क्रमांक 1097 / छ.ग.रो.डेव्ह. कार्पो. लिमि. / 2017

रायपुर, दिनांक : 28 / 04 / 2017

प्रति,

कलेक्टर
राजनांदगांव
जिला— राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय : चिचोला—छुरिया—कल्लूबंजारी महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग (25.00 कि.मी.) चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत, 8.543 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।

—00—


जिला—राजनांदगांव के अंतर्गत, चिचोला—छुरिया—कल्लूबंजारी—महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग (25.00 कि.मी.) के चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत, निम्नानुसार वन भूमि के व्यपवर्तन की आवश्यकता है :-


अनु. क्रं.	जिला का नाम	वन मण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	कक्ष क्रं.	रकबा (हेक्ट.)
1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित वन भूमि						
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बागनदी	छुरिया	1) RF-510	2.602
योग —						2.602
संरक्षित वन भूमि						
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	बागनदी	छुरिया	1) PF-654	1.475
2					2) PF-648	1.934
3				मोहगांव	1) PF-647	0.910
4				अटमेटा	1) PF-643	1.145
5				दामाबंजारी	1) PF-633	0.477
योग —						5.941

वन भूमि का वर्गीकरण

1. आरक्षित वन भूमि — 2.602 हेक्ट
 2. संरक्षित वन भूमि — 5.941 हेक्ट
- योग वन भूमि — 8.543 हेक्ट.

कृपया अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें।


 (सुभाष चंद्र आर्य)
 परियोजना प्रबंधक
 छ.ग.रो.डेव्ह. कार्पो. लिमि.
 रायपुर (छ.ग.)


 01-05-17